ज्ञापांक 4346 / एक्स0एल0
XL(विविध)-26/14
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना दिनांक 8/7/15

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार, पटना।

विषयः— **साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर कार्रवाई के संबंध में।**

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आसन्न बिहार विधान सभा आमचुनाव के अवसर पे विधि–व्यवस्था को अव्यवस्थित करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के उदेश्य से कट्टरपंथियो द्वारा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है।

ऐसे अवसरों पर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति से निपटने के लिए अगल–बगल के अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों/थानाध्यक्षों एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ–साथ अन्य जिलों पुलिस पदाधिकारियों को भी स्थिति पर नियंत्रण हेतु भेजा जाता है, परन्तु यह देखा गया है कि बाहर से आये इन पदाधिकारियों को घटना स्थल वाले जगह की बनावट तथा वहाँ की परिस्थिति आदि के संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता है। जिसके कारण विधि–व्यवस्था संधारण में काफी कठिनाई होती है।

अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जाते है।

1. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अपने जिलान्तर्गत 50,00/– (पचास हजार) की आबादी वाले शहरों, कसबों का एक रोड मैप तैयार करायें, जिसमें उन शहरों/कसबों में स्थित सभी संवेदनशील स्थान, जैसे–मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, जिला मुख्यालय, अनुमण्डल मुख्यालय, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यालय दर्शाये जायेंगे।
2. इस रोड मैप को कम से कम 20–20 प्रतियों में तैयार किया जाय, जिसमें से 05–05 प्रति सभी थानों में 03–03 प्रति सभी पुलिस निरीक्षक कार्यालयों में, 05–05 प्रति सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय एवं 10 प्रति जिला मुख्यालय में संधारित रहेंगे, ताकि किसी प्रकार के साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न होने पर बाहर से आने वाले पदाधिकारियों को उसकी प्रति तत्काल उपलब्ध करा दी जाय, जिससे की उन पदाधिकारियों को घटना स्थल वाले स्थान की बनावट एवं परिस्थति की तत्क्षण जानकारी हो सके।
3. साथ ही साथ पुलिस जिला के अगल–बगल के थानाध्यक्षों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस उपाधीक्षकों/पुलिस निरीक्षकों के सहित अगल–बगल के जिलों के पुलिस अधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों की Land Line Phone No- मोबाईल नं0 उपलब्ध नही रहने के कारण उनसे समन्वय स्थापित करने तथा उपलब्ध बल का QRT के रूप में उपयोग करने में कठिनाई होती है। अतः अगल–बगल के थानाध्यक्षों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों सहित अगल–बगल के जिलों के पुलिस अधीक्षकों/अन्य पुलिस पदाधिकारियों/थानाध्यक्षों का Land Line/Mobile No. संधारित किये जाए ताकि उपर्युक्त परिस्थतियों में बेहतर समन्वय के साथ विधि–व्यवस्था का संधारण किया जा सके।

4. इस संबंध में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे।
5. यह रोड मैप कार्यालय व्यय से संधारित किया जाय।

ह0 राज 7/7/15

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः– सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 राज 7/7/15

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था)
बिहार, पटना।